न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2021/152

हेमराज आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम निमोदा, तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज0)।

– अपीलांट

1. महेश आत्मज स्वर्गीय रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज.)।
2. रामप्यारी विधवा स्वर्गीय रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज.)।
3. साधना नाबालिग पुत्री स्व. रामप्रसाद जरिये संरक्षक माता रामप्यारी विधवा रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज.)।
4. सीमा नाबालिग पुत्री स्व. रामप्रसाद जरिये संरक्षक माता रामप्यारी विधवा रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज.)।
5. मीनू नाबालिग पुत्री स्व. रामप्रसाद जरिये संरक्षक माता रामप्यारी विधवा रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज.)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री राजकुमार गौतम – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री उत्पल शर्मा – अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट कम 1 से 5 की ओर से

अपील संख्या– 2023/27

1. महेश आत्मज स्वर्गीय रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज.)।
2. रामप्यारी विधवा स्वर्गीय रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज.)।
3. साधना नाबालिग पुत्री स्व. रामप्रसाद जरिये संरक्षक माता रामप्यारी विधवा रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज.)।
4. सीमा नाबालिग पुत्री स्व. रामप्रसाद जरिये संरक्षक माता रामप्यारी विधवा रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज.)।
5. मीनू नाबालिग पुत्री स्व. रामप्रसाद जरिये संरक्षक माता रामप्यारी विधवा रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज.)।

– अपीलांटगण

बनाम

हेमराज आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम निमोदा, तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री उत्पल शर्मा – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकुमार गौतम – अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 29.09.2023

1. अपीलांट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 15/2016 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत उक्त दोनों अपीलें (अपील संख्या 2021/152 व अपील संख्या 2023/27) एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा दोनों प्रकरणों की विषय वस्तु एक समान होने तथा समान पक्षकार होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति अलग–अलग दोनों पत्रावली के साथ संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी रेस्पो0 कम 01 द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 92–ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि .कृषि भूमि खसरा संख्या 7 रकबा 0.62 हैक्टयर ग्राम निमोदा तहसील के०पाटन जिला बूंदी (राज0) में स्थित है, जो वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 की खतौनी संख्या 140 नई में खातेदार के स्थान पर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है । वाद–पत्र की चरण कम 1 में वर्णित कृषि भूमि सम्वत् 2057 से 2060 की खतौनी संख्या – 146 में खातेदार के स्थान पर रामप्रसाद वल्द पांचूलाल जाति बैरवा निवासी निमोदा के खातेदारी में दर्ज थी । उक्त श्री रामप्रसाद बैरवा प्रतिवादी कम– 1,3,4,5 के पिता तथा प्रतिवादी कम 2 का पति है जिसकी मृत्यु के पश्चात जमाबंदी सम्वंत् 2065 से 2068 में फोती नामान्तकरण संख्या– 409 दिनांक 8.12.2010 द्वारा प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 के नाम दर्ज किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि वाद–पत्र की चरण कम–1 में वर्णित कृषि भूमि का पूर्व खातेदार श्री रामप्रसाद बैरवा पुत्र श्री पांचूलाल निवासी निमोदा था। वाद–पत्र की चरण कम 1 में वर्णित कृषि भूमि के पूर्व खातेदार श्री – रामप्रसाद ने घरू खर्च हेतु रूपयो की आवश्यकता होने से उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या–7 रकबा 0.62 हैक्टयर ग्राम निमोदा को 2,40,000/– रुपये के प्रतिफल स्वरूप वादी को दिनांक 22.5.2003 को बैचान कर कब्जा कृषि भूमि वादी को संभला दिया था तथा संपूर्ण बैचान राशी वादी से प्राप्त कर ली थी बैचान का लेख बैचाननामा उक्त तिथि दिनांक 22.5.2003 को ही वादी के पक्ष में रूबरू गवाह निष्पादित कर सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर कर दिये थे तथा अपने संपूर्ण अधिकार वादी के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिये थे, इस प्रकार वादी दिनांक 22.5.2003 से ही वाद–पत्र की चरण कम 1 में वर्णित कृषि भूमि पर निरन्तर शांतिपूर्वक काबिज काश्त करता चला आ रहा है। 12 वर्ष से अधिक अवधि से निरन्तर शांतिपूर्वक प्रतिवादीगण की जानकारी में काबिज काश्त चले आने के कारण विवादित कृषि भूमि का खातेदार वादी बन चुका है तथा प्रतिवादीगण का कब्जा प्राप्ति का अधिकार सदैव के लिये अवधि बाधित होकर नष्ट हो चुका है

। वाद–पत्र की चरण कम 1 में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादीगण का खातेदार के स्थान पर नाम दर्ज है, जबकि उक्त कृषि भूमि के पूर्व खातेदार श्री रामप्रसाद बैरवा ने 2.40,000/– रुपये के प्रतिफल स्वरूप अपने समस्त अधिकार वादी के पक्ष में दिनांक 22.5.2003 को ही हसतान्तरित कर चुके हैं। प्रतिवादीगण जमाबंदी में नाम दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाकर वादी को विवादित वाद–पत्र की चरण कम 1 में वर्णित कृषि भूमि से ताकत के बल पर बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है जबकि प्रतिवादीगण के कब्जा प्राप्ति के अधिकार अवधि बाधित होकर नष्ट हो चुका है. प्रतिवादीगण ने दिनांक 12.2.2016 को जबरन वादी को बेदखल करने एवं कब्ज़ा करने तथा विवादित भूमि अन्य को बैचान, भारग्रस्त करने की धमकी दी। यही वाद उत्पत्ति का कारण है। वाद कारण दिनांक 12.2.2016 को न्यायालय के न्याय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करे कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि में वादी के सुस्थापित कब्जे में विधि विरूद्ध रूप से हस्तक्षेप नही करे, वादी को विवादित भूमि से ताकत के बल पर बैदखल कर कब्जा नहीं करे, वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में दखल उत्पन्न नही करे विवादित भूमि को अन्य व्यक्ति अथवा संस्थान को बैचान अथवा भारग्रस्त एवं अन्य प्रकार से हस्तांतरित नही करे । प्रतिवादीगण ने दिनांक 12.2.2016 को वादी को विवादित भूमि से बैदखल करने एवं कब्जा करने एवं विवादित भूमि अन्य को रहन, बैचान, भारग्रस्त करने की धमकी दी है, यदि प्रतिवादीगण अपने कृत्य में सफल हो जावेगें तो वादी को भारी अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी भी प्रकार संभव नही होगी। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करावे। अन्त में वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिकी पारित किये जाने का निवेदन किया कि वाद–पत्र की चरण कम 1 में वर्णित विवादित कृषि भूमि में वादी के 1– सुस्थापित कब्जे में विधि विरुद्ध रूप से हस्तक्षेप कर वादी को कृषि भूमि से बैदखल न तो स्वंय करे और न ही अन्य से बैदखल करावे । प्रतिवादीगण वाद–पत्र की चरण कम– 1 में वर्णित विवादित कृषि भूमि को जमाबंदी में स्वयं की खातेदारी में दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाकर अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को विवादित भूमि रहन, बैचान भारग्रस्त एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे ।

4. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 23.03.2021 को वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किया गया तथा तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया गया कि "वाद वर्णित भूमि में धारा 42 का उल्लंघन हुआ है अतः राज0टी0ए0 की धारा 175 में प्रकरण तैयार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करें।" तदनुसार डिकी जारी की गई।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 23.03.2021 से व्यथित होकर वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की ओर से न्यायालय हाजा में अलग–अलग दो अपीलें प्रस्तुत की गई। दोनो अपीलें मियाद बाहर प्रस्तुत की गई तथा दोनो अपीलों के साथ अलग–अलग धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किए गए। दोनो अपीलें सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। दोनो अपीलों के रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में दोनो अपीलों के सभी रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। दोनो अपीलें वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दोनो अपीलों पर बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट (अपील संख्या 2023/27) ने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा खिलाफ प्रार्थीगण जो वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था उसकी कोई जानकारी प्रार्थीगणों को नहीं थी तथा अपील का सम्मन जब प्राप्त हुआ, तब सर्व प्रथम जानकारी प्रार्थीगणो को अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार वाद की हुई थी, जब माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा जारी सम्मन् प्रार्थीगण को प्राप्त हुआ तब उस सम्मन् के साथ अपील मेमो की कॉपी प्रार्थीगणो को प्राप्त नहीं हुई थी. इस कारण से निर्णय व डिक्री के बारे मे अनभिज्ञता थी। इस पर प्रार्थीगणो ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 09.12.2022 को नकल हेतु आवेदन किया, जिस पर दिनांक 12.12.2022 को नकल प्राप्त हुई तथा जब प्रार्थीगण नियत तारीख दिनांक 12.01.2023 को कोटा न्यायालय मे आये तब जानकारी हुई कि न्यायालय कोर्ट केम्प बून्दी गया हुआ है, इस पर वकालतनामा पेश नहीं हो पाया तथा जब दिनांक 13.01.2023 को वकालत नामा पेश किया, तब प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगणों को अपीलाधीन निर्णय की अपील पेश करने की सलाह दी। अपने अधिवक्ता की सलाह प्राप्त होने पर प्रार्थीगण अपील पेश कर रहे है। अपील पेश करने मे हुई देरी बोनाफाईड रूप से क्षम्य है। सर्व प्रथम जानकारी से नकल लगाने से नकल मिलने के दिन मुजरा करने पर अपील अन्दर मियाद श्रवणार्थ ग्रहण की जावे। अन्त में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने तथा अपील में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किये जाने व अपील अंदर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया।

7. अपील संख्या 2021/152 के विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया किअधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23/03/2021 को पारित किया हैं किन्तु इस निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को नही हुई। अपीलान्ट के अभिभाषक ने कह रखा था कि जब भी आवश्यकता होगी आपको बुला लिया जावेगा। इस कारण अपीलान्ट नियमित रूप से पेशी पर नहीं जाता था और निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं हुई। तत्पश्चात् माह अप्रेल 2021 में लगभग 15 अप्रैल से कोविड–19 महामारी के कारण लोकडाउन लग गया तथा अदालतों में अभिभाषक महोदय, नहीं आते थे तथा अदालतो में भी नोटिस बोर्ड पर इकजाई पेशीया दी जाती थी। दिनांक 15/07/2021 को अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अभिभाषक महोदय से मुकदमें के सम्बन्ध में पुछताछ की तो जानकारी हुई की वाद वादी दिनांक 23/03/2021 को ही खारीज हो चुका हैं। उक्त तिथि को ही अपीलान्ट ने नकल निर्णय एवं डिक्री हेतु आवेदन प्रस्तुत करवाया तथा निर्णय एवं डिक्री की नकल दिनांक 05/8/2021 को प्राप्त हुई। इस प्रकार जानकारी की तिथि दिनांक 15/07/2021 से नकल प्राप्त करने की अवधि मुजरा दिये जाने के पश्चात् अपील अंतर्गत अवधि प्रस्तुत हैं। यदि किसी कारणवश अपील प्रस्तुती में विलम्ब माना जाये तो विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद् अधिनियम अपील के साथ प्रस्तुत है । अपील प्रस्तुती मे हुआ विलम्ब क्षमा किया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने आगे कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी कोविड महामारी के दौरान इस अवधि में छूट प्रदान की गई है। कोविड महामारी में इस समयावधि में बहुत ही खराब स्थिति थी तथा अधीनस्थ न्यायालय में भी कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा था। अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना–पत्र

स्वीकार किया जाकर उक्त अपील प्रस्तुती में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील की सुनवाई किये जाने के आदेश फरमावें।

8. अपील संख्या 2021/152 के विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23/03/2021 को पारित किया हैं किन्तु इस निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को नही हुई। अपीलान्ट के अभिभाषक ने कह रखा था कि जब भी आवश्यकता होगी आपको बुला लिया जावेगा। इस कारण अपीलान्ट नियमित रूप से पेशी पर नहीं जाता था और निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं हुई। तत्पश्चात् माह अप्रेल 2021 में लगभग 15 अप्रैल से कोविड–19 महामारी के कारण लोकडाउन लग गया तथा अदालतों में अभिभाषक महोदय, नहीं आते थे तथा अदालतो में भी नोटिस बोर्ड पर इकजाई पेशीया दी जाती थी। दिनांक 15/07/2021 को अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अभिभाषक महोदय से मुकदमें के सम्बन्ध में पुछताछ की तो जानकारी हुई की वाद वादी दिनांक 23/03/2021 को ही खारीज हो चुका हैं। उक्त तिथि को ही अपीलान्ट ने नकल निर्णय एवं डिक्री हेतु आवेदन प्रस्तुत करवाया तथा निर्णय एवं डिक्री की नकल दिनांक 05/8/2021 को प्राप्त हुई। इस प्रकार जानकारी की तिथि दिनांक 15/07/2021 से नकल प्राप्त करने की अवधि मुजरा दिये जाने के पश्चात् अपील अंतर्गत अवधि प्रस्तुत हैं। यदि किसी कारणवश अपील प्रस्तुती में विलम्ब माना जाये तो विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद् अधिनियम अपील के साथ प्रस्तुत है । अपील प्रस्तुती मे हुआ विलम्ब क्षमा किया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने आगे कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी कोविड महामारी के दौरान इस अवधि में छूट प्रदान की गई है। कोविड महामारी में इस समयावधि में बहुत ही खराब स्थिति थी तथा अधीनस्थ न्यायालय में भी कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा था। अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अपील प्रस्तुती में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील की सुनवाई किये जाने के आदेश फरमावें। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23/03/2021 वस्तु स्थिति एवं विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के वाद पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन नहीं किया हैं। वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी अधिकार घोषणा का अनुतोष नहीं चाहा हैं मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को वादी का स्थायी का निषेधाज्ञा का वाद डिक्री करना चाहिए था। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी और से साक्ष्य प्रस्तुत कर बैचाननामा दिनांक 22/05/2003 को बखूबी साबित किया हैं। इस लेख के गवाह बजरंगलाल की भी साक्ष्य प्रस्तुत की हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य बखुबी प्रमाणित हैं कि पूर्व खातेदार रामप्रसाद ने वाद ग्रस्त भूमि का वैचान 2,40,000/–रू के प्रतिफल स्वरूप अपीलान्ट को कर कब्जा सम्भला दिया था तथा अपने सम्पूर्ण अधिकार अपीलान्ट को हस्तान्तरित कर दिये थे जिसके खण्डन ने प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट की और से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का विवादित भूमि पर दिनांक 22/05/2013 से निरन्तर कब्जा काश्त साबित होने से अधीनस्थ न्यायालय को वादी का स्थायी निषेधाज्ञा का वाद डिक्री करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23/03/2021 में बैचाननामा दिनांक 22/05/2003 अनुसुचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर कोई हक एवं अधिकार प्राप्त होना अपीलान्ट का नहीं माना हैं, जो त्रुटि पूर्ण हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 42 राज0टी0 एक्ट की गलत व्याख्या की हैं। वास्तव में अपीलान्ट भी अनुसुचित जनजाति का व्यक्ति हैं, जिसे भूमि ट्रान्सफर में कोई बाधा नहीं हैं, इस कारण भी

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23/03/2021 निरस्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादी ने मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है तथा बैचाननामा दिनांक 22/05/2003 के आधार पर अपने कब्जे को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रस्तुत किया हैं, जबकि खातेदार अपने सम्पूर्ण अधिकार अपीलान्ट को हस्तान्तरित कर चुका है अब विवादित भूमि में रेस्पोडेन्टस् का कोई अधिकार दिनांक 22/05/2003 से शेष नहीं रहा हैं। इस कारण भी वादी का वाद डिक्री होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23/03/2021 में अपीलान्ट वादी को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होना माना हैं, जो त्रुटिपूर्ण हैं, जबकि धारा– 92 (ए) राज०टी०एक्ट के तहत् वादी को वाद प्रस्तुत करने एवं विवादित भूमि पर अपना कब्जा प्रोटेक्ट करने का अधिकार हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत विनिर्णयों का ध्यान पूर्वक अवलोकन नहीं कर त्रुटि पूर्ण निर्णय पारित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील विषयक कृषि भूमि के बाबत् उक्त हस्तान्तरण को राज०टी०एक्ट की धारा–42 के तहत् विधि विरूद्ध माना हैं, तथा धारा–175 के तहत् कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं जो त्रुटि पूर्ण हैं। वास्तव में धारा 42, का कोई उल्लघन नही हुआ हैं तथा प्रकरण में किसी भी पक्ष द्वारा यह अनुतोष नहीं चाहा गया हैं और न ही रेस्पोडेन्ट ने कोई काउन्टर क्लेम अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण में धारा 175 राज0टी0 एक्ट के तहत् प्रकरण तैयार करने का जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने दिया हैं, यह त्रुटिपूर्ण हैं, निरस्त होने योग्य हैं । अपीलान्ट हेमराज ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सद्भाविक रुप से वादग्रस्त भूमि 2,40,000 /– रुपये के प्रतिफल स्वरुप पूर्व खातेदार रामप्रसाद से वादग्रस्त भूमि क्रय करने व कब्जा प्राप्त करने का अभिवचन किया है। पूर्व खातेदार व विक्रेता रामप्रसाद रेस्पोन्डेन्ट महेश का पिता व रामप्यारी का पति व साधना, सीमा, मीनू का पिता था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व खातेदार व विक्रेता रामप्रसाद द्वारा अपीलान्ट के हक में निष्पादित बेचाननामा दिनांक 22.05.2003 प्रदर्श–4 को प्रमाणित करने हेतु वादी हेमराज ने स्वयं तथा दस्तावेज के गवाह बजरंगलाल के बयान करवाये है एवं वादग्रस्त भूमि पर वादी हेमराज के काबिज होने के संबंध में गवाह ब्रजमोहन व ब्रह्मानन्द को भी परिक्षित करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान वादी हेमराज द्वारा न्यायालय के समक्ष न्यायिक दृष्टान्त (अ) 1996 आर. आर. डी. पेज संख्या 337 भी प्रस्तुत किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त का ध्यानपूर्वक अवलोकन नहीं करते हुए वादी हेमराज द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया, जबकि इस विनिर्णय में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि वादीगण का दावा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत ही नहीं बल्कि धारा 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्थायी निषेधाज्ञा का भी पेश किया गया है और इसके अन्तर्गत खातेदार के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री हासिल कर सकता है, बशर्ते कि उसने यह अधिकार इस एक्ट के तहत प्राप्त किये हो, जिसका तात्पर्य यह कि यदि कोई भी खातेदार किसी भी व्यक्ति को अपनी सहमति से कोई भूमि सबटीनेन्सी पर देने या काश्त के लिये देने या बेचान का इकरारनामा करके संगलवा दे और उसके बावजूद भी वह उसे बेदखल करना चाहता है, तो उस हालात में धारा 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भी न्यायालय कानून के तहत व नियमानुसार प्राप्त किये गये कब्जे को रखने हेतु उस व्यक्ति के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित कर सकता है। इस निर्णय से यह पूर्णतया रूप से स्पष्ट होता है कि बेचाननामे के आधार पर यदि खातेदारी किसी कारण से नहीं दी जा सके तो भी धारा 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बेचाननामा निष्पादित करने वाले विक्रेता के विरुद्ध क्रेता को

अपना कब्जा बनाये रखने एवं कब्जे को सरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है। उपरोक्त अंकितानुसार न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्तों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.03.2021 निरस्त होने योग्य है एवं रेस्पोन्डेन्ट्स 1 लगायत 5 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है। इस संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत है –(ब) डी.एन.जे. 2004 सुप्रीम कोर्ट पेज 203 **It is the settled possession or effective possession for a person without title which would entitled him to protect his possession even as against the true owner.** अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के वाद में बिना किसी काउन्टर क्लेम के वादग्रस्त भूमि के बाबत धारा 175 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये है, जो न्यायोचित नहीं है। लैण्ड हॉल्डर द्वारा पृथक से धारा 175 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत कार्यवाही प्रस्तुत करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। इस संबंध में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत (स) आर.आर.डी. 2016 पृष्ठ संख्या 612 जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा किसी अन्य को भूमि का विक्रय किया गया तथा क्रेता द्वारा घोषणा हेतु प्रस्तुत वाद खारिज योग्य है। धारा 42 (बी) के प्रावधान में विक्रय होने पर भूमि राज्य में वापस लौटायी जायेगी, न कि विक्रेता को। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा आदरणीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक दृष्टांत 2002 आर.आर.टी. पृष्ठ संख्या 582 प्रस्तुत की है, जो प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर चस्पा नहीं होते है। अपीलान्ट हेमराज ने धारा 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपने कब्जे को संरक्षित रखने हेतु निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है एवं अपीलान्ट हेमराज बेचाननामा दिनांक 22.05.2003 के आधार पर प्राप्त वादग्रस्त भूमि पर अपने कब्जे को संरक्षित कराने का पूर्ण अधिकारी है। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा आदरणीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक दृष्टांत 2023 आर.आर.टी. पृष्ठ संख्या 82 प्रस्तुत की है, जो प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर चस्पा नहीं होते है। इस निर्णय में विक्रय इकरार के आधार पर खातेदारी घोषणा देने से इन्कार किया गया है, जबकि अपीलान्ट हेमराज ने बेचाननामा के आधार पर विक्रेता के विरुद्ध कब्जे की प्रतिरक्षार्थ धारा 92–ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा आदरणीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक दृष्टांत 2008 आर.आर.टी पृष्ठ संख्या 701 तथा अन्य न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है, जो प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर चस्पा नहीं होते है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित विनिर्णय 1996 आर. आर.डी. पेज 337 के प्रकाश में रेस्पोन्डेन्ट्स के विरुद्ध धारा 92–ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान की जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपीलांटगण प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील (अपील संख्या 2023/27) पर बहस आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलान्टस महेश वगैराह ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2021 की अपील अवधि बाधित प्रस्तुत की है। वास्तविकता यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णीत मूल वाद में अपीलान्ट महेश व रामप्यारी की तामील विधिवत् रूप से उनके स्वयं पर हुई थी एवं अपीलान्ट साधना, सीमा और मीनू की भी तामील विधिवत् रूप से उनके भाई अपीलान्ट महेश पर हुई। अपीलान्ट्स के तामीलशुदा सम्मन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। इस प्रकार अपीलान्ट्स महेश वगैराह को अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार बाद की जानकारी समय पर हो चुकी थी। अपीलान्ट्स द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में असत्य तथ्य अंकित किये गये है। इसी प्रकार मूल अपील संख्या 152/2021 शीर्षक हेमराज बनाम महेश वगैराह में भी अपीलान्ट्स की विधिवत् रुप से तामील

हुई है। तथा अपील में हुई तामील के सम्मन मूल अपील की पत्रावली में संलग्न है। अपीलान्ट्स जान–बूझकर अधीनस्थ न्यायालय और आदरणीय न्यायालय में बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए, जिससे प्रमाणित है कि अपीलान्ट्स महेश वगैराह द्वारा प्रस्तुत यह अपील अवधि बाधित प्रस्तुत हुई है तथा अपीलान्ट्स द्वारा लम्बे समय की देरी के संबंध में किसी प्रकार से भी समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, इस कारण अपील अपीलान्ट्स खारिज किये जाने योग्य है। इस संबंध में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत है :– (अ) 1960 ए.आई.आर. सुप्रीम कोर्ट पेज 260 जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि विलम्ब की सम्पूर्ण अवधि के बाबत् सुस्पष्ट तरीके से व्याख्या करना चाहिये। (ब) 1972 ए.आई.आर राजस्थान पेज 161 जिसमें भी अभिनिर्धारित किया है कि दिन–प्रतिदिन की देरी तथा देरी के संबंध में स्पष्ट रूप से व्याख्या व स्पष्टीकरण करना चाहिये । अपीलान्ट्स ने असल बेचाननामा दिनांक 22.05.2003 प्रदर्श–4 को फर्जी एवं कूटरचित होने बाबत् अभिवचन किया है, जबकि रेस्पोन्डेन्ट हंसराज की ओर से उक्त दस्तावेज को प्रमाणित करने हेतु स्वयं को पी. डब्ल्यू–1 के रूप में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष परिक्षित करवाया है तथा बेचाननामा के गवाह बजरंगलाल को भी पी.डब्ल्यू–4 के रूप में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष परिक्षित करवाया है एवं दस्तावेज पर न्यायालय द्वारा विना आपत्ति के प्रदर्श–4 अंकित किया गया है, जिसके बाबत् प्रदर्श डालने से पूर्व कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई। गवाहों के बयान से भी पूर्व खातेदार रामप्रसाद द्वारा वादग्रस्त भूमि रेस्पोन्डेन्ट हेमराज को बेचान करना प्रमाणित है। इस संबंध में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त दृष्ट्व्य है :– (स) 1972 ए.आई.आर. सुप्रीम कोर्ट पेज 608 जब एक बार बिना आपत्ति के कोई दस्तावेज प्रदर्शित हो जाता है तो वह साक्ष्य में ग्राहय है, जिसके बाबत् भविष्य में आपत्ति नहीं की जा सकती है। (द) 1973 एआई.आर. कलकत्ता पेज 325 में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त अंकितानुसार पारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त को मान्य करते हुए निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट्स महेश वगैराह ने वादग्रस्त भूमि पर उनके कब्जे के बावत् कोई कथन नहीं किये हैं तथा रेस्पोन्डेन्ट हेमराज के कब्जे का भी खंडन नहीं किया है, जिससे भी वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोन्डेन्ट हेमराज का काबिज चले आने का तथ्य साबित होता है एवं दस्तावेज प्रदर्श–4 बेचाननामा के आधार पर भी रेस्पोन्डेन्ट हेमराज को अपने कब्ज़े को संरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है। इस संबंध में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत है – (य) आर.आर.डी. 1996 पेज 337 जिसमें अभिनिर्धारित किया है कि वादीगण का दावा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत ही नहीं बल्कि धारा 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। और इसके अन्तर्गत खातेदार के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिग्री हासिल कर सकता है बशर्ते कि उसने यह अधिकार इस एक्ट के तहत प्राप्त किये हो, जिसका तात्पर्य यह कि यदि कोई भी खातेदार किसी भी व्यक्ति को अपनी सहमति से कोई भूमि सबटीनेन्सी पर देने या काश्त के लिये देने या बेचान का इकरारनामा करके संभलवा दे और उसके बावजूद भी वह उसे बेदखल करना चाहता है, तो उस हालात में धारा 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भी न्यायालय कानून के तहत व नियमानुसार प्राप्त किये गये कब्जे को रखने हेतु उस व्यक्ति के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित कर सकता है। (र) डी.एन.जे. 2004 सुप्रीम कोर्ट पेज 263 It is the settled possession or effective possession for a person without title which would entitled him to protect his possession even as against the true owner.अधिवक्ता अपीलांट(अपील संख्या 2021/152) द्वारा दोनो अपीलों में लिखित बहस भी प्रस्तुत की जो शामिल मिसल की गई। अन्त में विद्वान अधिवक्ता

अपीलान्ट्स महेश वगैराह द्वारा प्रस्तुत अपील(अपील संख्या 2023/27) सव्यय खारिज फरमायी जाने का निवेदन किया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एंव डिकी दिनाक 23/03/2021 निरस्त किये जाने तथा अपील अपीलान्ट(अपील संख्या 2021/152) को स्वीकार करते हुए वादी का वाद डिक्री फरमाया जाने का निवेदन किया।

9. अपील संख्या 2023/27 के विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट ने एक वाद अन्तगत धारा 92 (ए) 188 आर. टी. एक्ट का विरुद्ध अपीलान्ट्स के पेश किया था. जिसमे अपीलान्टगण दिनांक 23.07. 2018 को एक तरफा कार्यवाही करते हुए तथा योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट की बहस सुनकर दिनांक 23.03.2021 को रेस्पोडेन्ट का दावा खारिज कर दिया, किन्तु योग्य अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादाधीन भूमि खसरा नम्बर 7 रकबा 0.62 हैक्टर भूमि पर धारा 175 आर. टी एक्ट की कार्यवाही करने की अनुशंसा कर दी है। अप्रार्थी द्वारा खिलाफ प्रार्थीगण अपीलांटगण जो वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था उसकी कोई जानकारी प्रार्थीगणों अपीलांटगण को नहीं थी तथा अपील का सम्मन जब प्राप्त हुआ, तब सर्व प्रथम जानकारी प्रार्थीगणो को अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार वाद की हुई थी, जब माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा जारी सम्मन् प्रार्थीगण को प्राप्त हुआ तब उस सम्मन् के साथ अपील मेमो की कॉपी प्रार्थीगणो को प्राप्त नहीं हुई थी. इस कारण से निर्णय व डिक्री के बारे मे अनभिज्ञता थी। इस पर प्रार्थीगणो ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 09.12.2022 को नकल हेतु आवेदन किया, जिस पर दिनांक 12.12.2022 को नकल प्राप्त हुई तथा जब प्रार्थीगण नियत तारीख दिनांक 12.01.2023 को कोटा न्यायालय मे आये तब जानकारी हुई कि न्यायालय कोर्ट केम्प बून्दी गया हुआ है, इस पर वकालतनामा पेश नहीं हो पाया तथा जब दिनांक 13.01. 2023 को वकालत नामा पेश किया। प्रार्थीगण अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगणों को अपीलाधीन निर्णय की अपील पेश करने की सलाह दी। अपने अधिवक्ता की सलाह प्राप्त होने पर प्रार्थीगण अपील पेश कर रहे है। अपील पेश करने मे हुई देरी बोनाफाईड रूप से क्षम्य है। सर्व प्रथम जानकारी से नकल लगाने से नकल मिलने के दिन मुजरा करने पर अपील अन्दर मियाद श्रवणार्थ ग्रहण की जावे। अन्त में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने तथा अपील में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किये जाने व अपील अंदर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। साथ ही यह भी निवेदन किया कि न्यायालय के उपरोक्त विवेचन जो कि धारा 175 आर. टी. एक्ट के सम्बन्ध मे दिया है कि अप्रसन्नता से मात्र धारा 175 आरटीएक्ट के राईडर की हद तक अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 54 के अनुसार 100/– रूपये और उससे अधिक मूल्य की मूर्त स्थावर सम्पत्ति की दशा मे विक्रय रजिस्ट्रकृत लिखित द्वारा ही किया जा सकता है, जबकि वादी/ रेस्पोडेन्ट ने जो वाद खिलाफ अपीलान्ट प्रस्तुत किया है वह एक फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज जो कि विधिवत रजिस्टर्ड दस्तावेज नही है को आधार बनाकर पेश किया है जिसकी की विधि एवं साक्ष्य मे कोई स्थान नहीं है इस कारण से योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादाधीन भूमि पर धारा 175 आरटी एक्ट की कार्यवाही करने का आदेश देना काबिल निरस्तनीय है। क्योकि सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के अनुसार सम्पत्ति का अन्तरण हीं नहीं हुआ था, उस दशा में धारा 175 आरटी एक्ट की अनुशंसा करना विधि के विपरीत है। यह कि भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार रेस्पोडेन्ट द्वारा अभिकथित एग्रीमेन्ट वार्ड वाय लॉ होने के

कारण विधि द्वारा प्रर्वतनीय नहीं है इस कारण से विधि द्वारा अप्रर्वतनीय करार का कोई मोल विधि की दृष्टी मे नहीं है इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादाधीन भूमि पर धारा 175 आरटीएक्ट की कार्यवाही की अनुशंशा करना काबिल निरस्तनीय है। यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में वादाधीन भूमि के सम्बन्ध मे धारा 175 आरटी एक्ट की कार्यवाही करने की अभिशंशा की है जबकि धारा 175 आरटी एक्ट के अनुसार "अवैध अन्तरण या उप पट्टे पर देने के कारण बेदखली से सम्बन्धित है जबकि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं ने उपरोक्त अन्तरण को अन्तरण की श्रेणी में नहीं माना है तथा रेस्पोडेन्ट को वादाधीन भूमि का काश्तकार भी नहीं माना है अर्थात जहां अन्तरण नहीं हुआ एंव व्यक्ति काश्तकार की श्रेणी मे नहीं आता है वहां पर धारा 175 आरटी एक्ट की कार्यवाही करना न्यायोचित नहीं है। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री मे धारा 175 आर.टी.एक्ट के राईडर को निरस्त करने के आदेश प्रदान करे। अपीलांटगण प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाए। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता की ओर से न्यायिक दृष्टांत सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 का अध्याय–3, आर.आर.डी. अक्टूबर 2002 पेज 583, आर. आर.डी. 14.02.2023 पेज 79, आर.आर.डी. 14.02.2023 पेज 84, 2008(1) आर.आर.टी. पेज 203, 2008(1) आर.आर.टी. पेज 206 प्रस्तुत किये। अन्त में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाते हुए निर्णय व डिकी जैर अपील दिनांक 23.03.2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

10. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। हमारे मत में प्रस्तुत दोनो अपीलों पर अलग–अलग विवेचन करते हुए दोनों में अलग–अलग निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। प्रथमतः अपील संख्या 2021/152 में विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर विधिपूर्ण मनन करते हुए सम्बंधित पत्रावलियों व न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। सर्वप्रथम हस्तगत अपील(अपील संख्या 2021/152) के साथ प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा–5 भारतीय मियाद अधिनियम को निस्तारित किया जाना उचित होगा। अपील संख्या 2021/152 के विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23/03/2021 को पारित किया हैं किन्तु इस निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को नही हुई। अपीलान्ट के अभिभाषक ने कह रखा था कि जब भी आवश्यकता होगी आपको बुला लिया जावेगा। इस कारण अपीलान्ट नियमित रूप से पेशी पर नहीं जाता था और निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं हुई। तत्पश्चात् माह अप्रेल 2021 में लगभग 15 अप्रैल से कोविड–19 महामारी के कारण लोकडाउन लग गया तथा अदालतों में अभिभाषक महोदय, नहीं आते थे तथा अदालतो में भी नोटिस बोर्ड पर इकजाई पेशीया दी जाती थी। दिनांक 15/07/2021 को अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अभिभाषक महोदय से मुकदमें के सम्बन्ध में पुछताछ की तो जानकारी हुई की वाद वादी दिनांक 23/03/2021 को ही खारीज हो चुका हैं। उक्त तिथि को ही अपीलान्ट ने नकल निर्णय एवं डिक्री हेतु आवेदन प्रस्तुत करवाया तथा निर्णय एवं डिक्री की नकल दिनांक 05/8/2021 को प्राप्त हुई। इस प्रकार जानकारी की तिथि दिनांक 15/07/2021 से नकल प्राप्त करने की अवधि मुजरा दिये जाने के पश्चात् अपील अंतर्गत अवधि प्रस्तुत हैं। यदि किसी कारणवश अपील प्रस्तुती में विलम्ब माना जाये तो विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद् अधिनियम अपील के साथ प्रस्तुत है । अपील

प्रस्तुती मे हुआ विलम्ब क्षमा किया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने आगे कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी कोविड महामारी के दौरान इस अवधि में छूट प्रदान की गई है, इस सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के Suo Motu writ petition no- 3 of 2020 के आदेश की फोटोप्रति प्रस्तुत की। कोविड महामारी में इस समयावधि में बहुत ही खराब स्थिति थी तथा अधीनस्थ न्यायालय में भी कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा था। अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अपील प्रस्तुती में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील की सुनवाई किये जाने के आदेश फरमावें। अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण ने अपीलांट प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम में अंकित कथनों का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अन्तर्गत धारा–5 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। हम अधिवक्ता प्रार्थी अपीलांट के इस कथन से सहमत है कि प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2021 के समय तथा उसके अगले कुछ माह कोविड महामारी के भारी प्रकोप के कारण जन–जीवन पूरी तरह अस्त–व्यस्त रहा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी समय समय पर कोविड महामारी की अवधि के दौरान मियाद के बिन्दु पर छूट प्रदान की है तथा कोविड की परिस्थितियों तथा इस सम्बंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के प्रकाश में हस्तगत अपील को देखना उचित होगा। कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए अपीलांट प्रार्थी के धारा–5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में अंकित कथन विश्वसनीय व सद्भाविक प्रतीत होते है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अपील संख्या 2021/152 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा उद्धृत माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के प्रकाश में स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अतः अपील संख्या 2021/152 के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

11. अपील संख्या 2021/152 में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रदर्शो, बयानो के अवलोकन से तथा अधीनस्थ न्यायालय की फाईडिंग से एवं हमारे समक्ष हुई बहस से प्रथम दृष्ट्या विवादित भूमि पर वादी अपीलांट का कब्जा–काश्त प्रतीत होता है। प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट ने भी विवादित भूमि पर स्वयं के कब्जे काश्त का कोई कथन एवं ठोस साक्ष्य हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने संपूर्ण तथ्यों व विधिक प्रावधानों के विवेचन के पश्चात निर्णय में अंकित किया है कि "परिणामस्वरूप वादी का वाद पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि वाद वर्णित भूमि में धारा 42 का उल्लंघन हुआ है अतः राज0टी0ए0 की धारा 175 में प्रकरण तैयार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।" हम अधिवक्ता अपीलांट के इस तर्क से सहमत नहीं है कि अपंजीकृत विक्रय दिनांक 22.05.2003 से विवादित भूमि पर कब्जा–काश्त होने से विवादित भूमि पर उनके हक अधिकार सृजित होते है। वस्तुतः वर्तमान में यह विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि अपंजीकृत विक्रय–पत्र के आधार पर क्रेता खातेदारी की भूमि पर कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। हम अधीनस्थ न्यायालय की इस फाइंडिंग से सहमत है कि अनरजिस्टर्ड बेचाननामा से वादी को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते तथा यदि कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अनुसूचित

जाति के व्यक्ति को भूमि विक्रय करता है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 इस प्रकार के बेचान को वर्जित करती है। हम अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के इस तर्क से सहमत है कि वादी अपीलांट को अपंजीकृत बेचाननामा के आधार पर तथा वाद में किए गए लगातार कब्जे के तर्क के आधार पर वादी को खातेदारी अधिकार विवादित भूमि पर प्राप्त नहीं हो सकते। अधिवक्ता वादी अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांतो को उद्धृत करते हुए तर्क दिया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 की कार्यवाही का निर्देश दिया है, वह विधि सम्मत नहीं है तथा यह अनुतोष वादी ने मांगा ही नहीं था तो वाद के अभिवचनों तथा वांछित अनुतोष से बाहर जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देश विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय में धारा 175 के तहत कार्यवाही के दौरान निर्देश को विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट अपीलांट(अपील संख्या 2023/27) ने भी कानूनन गलत होने का कथन किया है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 को लेकर जो निर्देश दिए है उनका अभी परीक्षण नही हुआ है। तहसीलदार केशवरायपाटन द्वारा ऐसी कार्यवाही हुई है अथवा नहीं? हमारे समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। अपील के वर्तमान स्तर पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि अधीनस्थ न्यायालय की इस सम्बंध में फाइंडिंग गलत है क्योंकि उसका अभी कोई परीक्षण नहीं हुआ है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इस बिन्दु पर विचार किया है कि, "आया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को भूमि बैचान कर सकता है?" इस बिन्दु पर विचार करते हुए हम अधीनस्थ न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत है कि हस्तगत बैचान प्रारंभ से शून्य एवं विधि विरूद्ध है। अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2016 पेज 612 को उद्धृत करते हुए तर्क दिया कि धारा 42(बी) का उल्लंघन होने पर भूमि राज्य में निहित हो जाएगी तथा यह विक्रेता के पास नहीं रहेगी। हमारे मत मे हस्तगत प्रकरण में अपील के वर्तमान स्तर पर इस प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कोई कार्यवाही हो तो वहॉ पर इस सम्बंध में कोई फाइंडिंग दी जा सकती है। अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत(अ) 1996 आर.आर.डी. पेज 337, मा.सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक दृष्टांत डी.एन.जे. 2004 सुप्रीम कोर्ट पेज 263 को उद्धृत करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पर उनका कब्जा–काश्त है इसलिए उन्हें धारा 92–ए व धारा 188 के तहत अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार है तथा सैटल्ड पजेशन को ड्यु प्रोसेस ऑफ लॉ से ही कब्जे से बेदखल किया जा सकता है। हम इस सम्बंध में अधिवक्ता अपीलांट के इस तर्क से सहमत नहीं है कि धारा 92–ए व धारा 188 के तहत उन्हे अनुतोष दिया जाना चाहिए था क्योंकि इस प्रकार के अवैध हस्तांतरण को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता। अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो के प्रकाश में हम उनके इस तर्क से सहमत है कि लम्बे समय से कब्जे–काश्त में रहे व्यक्ति को विधिक प्रकिया अपनाकर ही बेदखल किया जा सकता है। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट अपीलांट(अपील संख्या 2023/27) अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए परन्तु उन्होने भी प्रश्नगत भूमि पर कब्जे–काश्त को लेकर वादी के कथनों का कोई ठोस खण्डन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया। हमारे समक्ष प्रतिवादीगण अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील (अपील संख्या 2023/27) में अंकित अभिवचनों में भी विवादित भूमि पर स्वयं का कब्जा काश्त होने का कोई कथन अंकित नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है, जिससे हम सहमत है। अपील अपीलांट अपील संख्या 2021/152 खारिज किए जाने योग्य है।

12. अपील संख्या 2023/27 के सम्बंध में हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया पत्रावलियों व दस्तावेजों तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मनापूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम सी.पी.सी. की धारा 41 नियम 3A के तहत अधिवक्ता अपीलांट(अपील संख्या 2023/27) प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम को निस्तारित किया जाना उचित होगा। अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व बहस में मुख्यतः कथन किया है कि अपीलांटगण प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद की कोई जानकारी नहीं थी तथा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी से जारी सम्मन प्राप्त हुए तथा प्रार्थीगण अपीलांटगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 09.12.2022 को नकल हेतु आवेदन किया तथा नकल मिलने पर उन्हें हस्तगत प्रकरण की पूरी जानकारी हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण अपीलांटगण ने आगे कथन किया कि जो विलम्ब हुआ है वह बोनाफाइड है तथा उसे सद्भाविक रूप से क्षम्य किया जाए तथा देरी को कण्डोन कर अपील को सुनवाई हेतु ग्रहण किया जाए। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट अपीलांट (2021/152) ने हस्तगत अपील को गंभीर रूप से अवधि बाधित होने का कथन किया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट अपीलांट(अपील संख्या 2021/152) का कथन है कि अपीलांट को प्रारम्भ से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद तथा इसमें पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2021 की प्रारम्भ से समुचित जानकारी थी। न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील(अपील संख्या 2021/152) के नोटिस तामील होने के बावजूद भी प्रतिवादीगण अपीलांट ने समय पर अपील प्रस्तुत नहीं की तथा आगे कथन किया कि वस्तुतः अपीलांट विवादित भूमि का विकय कर चुके है तथा न ही इनका कोई कब्जा काश्त है, इस कारण अपीलांट की इस विवादित भूमि में न तो कोई हित निहित है तथा न ही इनकी कोई रूचि है। इस सम्बंध में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने न्यायिक दृष्टांत 1960 ए.आई.आर. सुप्रीम कोर्ट पेज 620, 1972 ए.आई.आर. राजस्थान पेज 161 प्रस्तुत किए। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों एवं बहस के सन्दर्भ में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 31.03.2016 पर प्रतिवादीगण अपीलांटगण (अपील संख्या 2023/27) के हस्ताक्षर अंकित है तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भारत कुमार वर्मा द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात् जवाब पेश करने हेतु प्रतिवादीगण को कई अवसर दिए गए। इस तथ्य से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण अपीलांटगण(अपील संख्या 2023/27)को हस्तगत वाद की प्रारम्भ से दिनांक 21.03.2016 से समुचित जानकारी हो गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कई अवसर दिए जाने के बावजूद संभवतः जानबूझकर प्रतिवादीगण अपीलांटगण ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया। न्यायालय हाजा में भी वादी अपीलांट ने दिनांक 26.08.2021 को अपील प्रस्तुत कर दी थी। इसकी जानकारी के बावजूद भी अपीलांटगण(अपील संख्या 2023/27) ने दिनांक 19.01.2023 को अपील पेश की है। अपने कथनों में अपीलांटगण ने यह भी नहीं अंकित किया कि उन्हे न्यायालय हाजा से सम्मन उन्हें किस दिनांक को तामील हुए। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलांटगण प्रतिवादीगण को प्रारम्भ से ही हस्तगत वाद तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2021 की समुचित जानकारी थी। प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते। प्रार्थी अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि उन्हें हस्तगत प्रकरण की जानकारी नहीं थी जबकि वे स्वयं तथा उनके विद्वान अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुए है। प्रार्थीगण अपीलांटगण के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन मिथ्या प्रतीत होते है तथा ये सद्भाविक कथन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय व

डिक्री दिनांक 23.03.2021 का है तथा अपीलांटगण की ओर से न्यायालय हाजा में अपील संख्या 2023/27 दिनांक 19.01.2023 को प्रस्तुत की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 228 के अनुसार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में अपील प्रस्तुत करने की समयावधि 60 दिवस निर्धारित है। जबकि अपीलांट(अपील संख्या 2023/27) ने 1 वर्ष 9 माह 24 दिन दिवस पश्चात् अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद की समुचित जानकारी के बावजूद अपीलांटगण ने इतने लम्बे समय 1 वर्ष 9 माह 24 दिन पश्चात् अपील प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। लगभग 664 दिवस के गंभीर विलम्ब को बिना किसी पर्याप्त कारण के अपीलांटगण के मिथ्या कथनों के आधार पर कण्डोन किया जाना उचित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट (अपील संख्या 2023/27) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते है, अतः विद्वान अधिवक्ता अपीलांट (अपील संख्या 2023/27) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट (अपील संख्या 2023/27) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाता है। प्रथम दृष्ट्या हस्तगत अपील का गुणावगुण पर भी अवलोकन व विवेचन से प्रतीत होता है कि अपीलांटगण (अपील संख्या 2023/27) मुख्यतः अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के सम्बंध में दिए निर्देशों को निरस्त करवाना चाहता है। अपीलांटगण के अपील में अंकित कथनों से स्पष्ट है कि वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निदेर्शों को अपीलांटगण उचित नहीं मानते है तथा उनके विरूद्ध इस निर्देश को निरस्त करवाना चाहते है। अपने अपील मेमो में अंकित कथनों में अपीलांटगण ने कहीं अंकित नहीं किया है कि विवादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा–काश्त है। वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की धारा 42 के सम्बंध में दी गई फाइंडिंग से व्यथित होकर तथा होने वाली प्रस्तावित कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए एक बाद के विचार (ऑफटर थॉट) के कारण अपीलांटगण(अपील संख्या 2023/27) ने हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। अपीलांटगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय हाजा में उपस्थित होना प्रतीत नहीं होता। अधिवक्ता अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों की तथ्य व परिस्थितियॉ तथा हस्तगत प्रकरण की तथ्य एवं परिस्थितियॉ भिन्न होने से हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील (अपील संख्या 2023/27) गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज किये जाने योग्य है तथा प्रथम दृष्ट्या गुणावगुण पर भी अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

13. इस निर्णय के पैरा संख्या 10 ,11, 12 के विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के सम्बंध में दिए निर्देशों से व्यथित है तथा इसे निरस्त करवाना चाहते है, हमारे मत में वर्तमान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के तहत कोई कार्यवाही प्रारंभ होने के सम्बंध में हमारे समक्ष कोई दस्तावेज नहीं है, ऐसे में इस सम्बंध में अपील के वर्तमान स्तर पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। अभी इस सम्बंध में संभवतः परीक्षण भी नहीं होना प्रतीत होता है। इस तरह की कोई कार्यवाही होती है तो उभयपक्षों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। हम दोनो अपीलो (अपील संख्या 2023/27 व अपील संख्या 2021/152) में उभयपक्षों के अधिवक्तागण के तर्क व कथन से सहमत नहीं है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सम्बंध में दिए गए निर्देशों को अपील के

वर्तमान स्तर पर निरस्त किया जाए। हम अधिवक्ता अपीलांट (अपील संख्या 2021/152) द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो के प्रकाश में उनके इस तर्क से सहमत है कि लम्बी अवधि के कब्जे को विधिक प्रकिया अपनाकर बेदखल किया जाना चाहिए। अतः उपर्युक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2021 विधि सम्मत है तथा दोनो हस्तगत अपीलें (अपील संख्या 2023/27 व अपील संख्या 2021/152) खारिज किये जाने योग्य है।

14. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत दोनो अपीलें (अपील संख्या 2021/152 एवं अपील संख्या 2023/27) खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 15/2016 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2021 यथावत रखी जाती है।

15. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

16. निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी ,कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या– 2021/152

हेमराज आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम निमोदा, तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज0)।

– अपीलांट

1. महेश आत्मज स्वर्गीय रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज.)।
2. रामप्यारी विधवा स्वर्गीय रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज.)।
3. साधना नाबालिग पुत्री स्व. रामप्रसाद जरिये संरक्षक माता रामप्यारी विधवा रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज.)।
4. सीमा नाबालिग पुत्री स्व. रामप्रसाद जरिये संरक्षक माता रामप्यारी विधवा रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज.)।
5. मीनू नाबालिग पुत्री स्व. रामप्रसाद जरिये संरक्षक माता रामप्यारी विधवा रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज.)।

–रेस्पोडेन्टगण

वाद पत्र संख्याः 15/16

हेमराज आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम निमोदा, तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज0)।

– वादी

बनाम

1. महेश आत्मज स्वर्गीय रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज.)।
2. रामप्यारी विधवा स्वर्गीय रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज.)।
3. साधना नाबालिग पुत्री स्व. रामप्रसाद जरिये संरक्षक माता रामप्यारी विधवा रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज.)।

4. सीमा नाबालिग पुत्री स्व. रामप्रसाद जरिये संरक्षक माता रामप्यारी विधवा रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज.)।
5. मीनू नाबालिग पुत्री स्व. रामप्रसाद जरिये संरक्षक माता रामप्यारी विधवा रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज.)।

–प्रतिवादीगण

अपील संख्या– 2023/27

1. महेश आत्मज स्वर्गीय रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज.)।
2. रामप्यारी विधवा स्वर्गीय रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज.)।
3. साधना नाबालिग पुत्री स्व. रामप्रसाद जरिये संरक्षक माता रामप्यारी विधवा रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज.)।
4. सीमा नाबालिग पुत्री स्व. रामप्रसाद जरिये संरक्षक माता रामप्यारी विधवा रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज.)।
5. मीनू नाबालिग पुत्री स्व. रामप्रसाद जरिये संरक्षक माता रामप्यारी विधवा रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज.)।

– अपीलांटगण

बनाम

हेमराज आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम निमोदा, तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्ट

वाद पत्र संख्याः 15/16

हेमराज आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम निमोदा, तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज0)।

– वादी

बनाम

1. महेश आत्मज स्वर्गीय रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज.)।
2. रामप्यारी विधवा स्वर्गीय रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज.)।
3. साधना नाबालिग पुत्री स्व. रामप्रसाद जरिये संरक्षक माता रामप्यारी विधवा रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज.)।
4. सीमा नाबालिग पुत्री स्व. रामप्रसाद जरिये संरक्षक माता रामप्यारी विधवा रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज.)।

5. मीनू नाबालिग पुत्री स्व. रामप्रसाद जरिये संरक्षक माता रामप्यारी विधवा रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम नीमोदा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज.)।

–प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद पत्र संख्या 15/16 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन, जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2021 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त दोनों अपीले तारीख 29.09.2023 को अपील संख्या 2021/152 में बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री राजकुमार गौतम, रेस्पोडेन्ट कम 01 लगायत 05 की ओर से श्री उत्पल शर्मा के उपस्थित होने पर एवं अपील संख्या 2023/27 में बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री उत्पल शर्मा, रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री राजकुमार गौतम के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि उक्त दोनों अपीले खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 15/16 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2021 यथावत रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 29.09.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा